तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-11-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27-11-2024 को पेश हो। [signature]	
27-11-24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई पत्रावली के अवलोकन उपरान्त वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा (बूंदी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 66/2019
दायरा दिनांक 03.10.2019

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

फुलचन्द पुत्र धन्ना जाति गुजर निवासी गत्ता फैक्ट्री रोड कंसुआ, तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रतिवादी

वाद – अधिकार घोषणा पत्र, इन्द्राज दुरस्ती राजस्व रिकॉर्ड
अन्तर्गत धारा 88,89 आ0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट
अधिवक्ताः– 1. श्री बालकिशन रायका (अधिवक्ता वादी)
2. सरकार पेरोकार(प्रतिवादी)

निर्णय दिनांकः– 27.11.2024

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता सं 30 नयी पुरानी 24 के ख0स0 108 रकबा 0.02है0, ख0सं0 111 रकबा 0.01है0, ख0सं0 112 रकबा 0.01है0, ख0सं0 130 रकबा 0.33है0, ख0सं0 133 रकबा 0.34है0, ख0सं0 160 रकबा 0.47है0, ख0सं0 51 रकबा 0.05है0, ख0सं0 52 रकबा 0.5080है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.7380है0 वाके ग्राम गेन्दापुरा सम्वत् 2074 से 2077 तहसील इन्द्रगढ़ व खाता संख्या 47 नयी, पुरानी 49 के खसरा संख्या 276 रकबा 2.31है0 वाके ग्राम बिशनपुरा जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न है। उक्त वाद विषकय आराजी में खातेदार का नाम खाता संख्या 30 वाके ग्राम गेन्दापुरा में वादी का नाम रामफुल पुत्र धन्ना जाति गुजर व खाता संख्या 47 के ग्राम बिशनपुरा में मनफुल पुत्र रामधन जाति गुजर वादी का नाम अंकित हो रहा है किन्तु वादी का सही एवं शुद्ध नाम फुलचन्द पुत्र धन्ना जाति गुजर निवासी कंसुआ जिला कोटा है। वाद का नाम खाता संख्या 30, खाता संख्या 47 सही एवं शुद्ध नाम फुलचन्द वल्द धन्ना जाति मीणा निवासी कन्सुआ जिला कोटा होना चाहिये था। वादी को लगान पिलाई, जमा करवाने एवं वित्तिय संस्थाओं से ऋण लेकर अधिक्तम लाभ प्राप्त करने में वंचित रहना पडता है। वादी को अपने खातेदार भूमि की जमाबंदी में गलत इन्द्राज को सही करवाकर अपने सही एवं शुद्ध नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कानुनी अधिकार है। वादी का सही एवं शुद्ध नाम फुलचन्द वल्द धन्ना में नाम राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी व आयकर डायरी विद्युत विभाग का बिल, जलदाय विभाग के बिल वाद के साथ संलग्न है। वादी ने कई मर्तबा राजस्व शिविर व तहसीलदार इन्द्रगढ़ को रिपोर्ट दर्ज करवायी किन्तु कोई गलत इन्द्राज के नाम को हटा कर सही व शुद्ध नाम अंकित नहीं किया। यही वाद का कारण है जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन कियागया कि वर्तमान खाता संख्या 30 में रामफुल पुत्र धन्ना व खाता संख्या 47 मनफुल पुत्र रामधन के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार कृषक के रूप में फुलचन्द पुत्र धन्ना अंकिर कर अमलदरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये सम्मन प्रतिवादीग को तलब किया गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को जवाब सरकार पेश करने हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार इन्द्रगढ़ के पत्रांक 1867 दिनांक 29.07.2024 से फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी नवलपुरा पेश की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी जिसके अनुसार ग्रामवासियान एवं सहखातेदारो द्वारा बताया गया कि प्रार्थी के पिता धन्ना के 5 पुत्र किशनलाल, रामचरण, मोड़ू, फुलचन्द, भैरूलाल थे इन पांच पुत्रों में से फुलचन्द को तीन नामों रामफुल, फुलचन्द व मनफुल के नाम से जाना जाता था। रामफुल, फुलचन्द, मनफुल एक ही व्यक्ति है। मौका रिपोर्ट में सहखातेदारान एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गए। पत्रावली में वादी के साक्ष्य करवाये गए। वादी द्वारा साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में स्वयं का पी0डब्लू 1 एवं पी0डब्लू 2 गवाह अमरचन्द के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए। गवाहान के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए गए। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम बिशनपुरा खतौनी संख्या 47 , प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 ग्राम गेन्दापुरा खतौनी संख्या 30, जलदाय विभाग का बिल, विद्युत विभाग का बिल, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड की प्रतिलिपी, सरपंच नवलपुरा का प्रमाण पत्र पेश किया। पत्रावली में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमने विद्धान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व मनन किया। पत्रावली में दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम बिशनपुरा के अवलोकन करने पर अवगत हुआ कि खाता संख्या नया 47 में वादी का नाम मनफूल पुत्र रामधन हिस्सा 1/5 जाति गुर्जर बतौर सहखातेदार अंकित है, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2074–77 ग्राम गेन्दापुरा के अवलोकन करने पर अवगत हुआ कि खाता संख्या नया 30 में वादी का नाम रामफुल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/5 जाति गूजर बतौर सहखातेदार अंकित है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार वादी के पिता धन्ना के 5 पुत्र किशनलाल, रामचरण, मोड़ू, फुलचन्द, भैरूलाल थे इन पांच पुत्रों में से फुलचन्द को तीन नामों रामफुल, फुलचन्द व मनफुल के नाम से जाना जाता था। रामफुल, फुलचन्द, मनफुल एक ही व्यक्ति होना अवगत करवाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध सरपंच, नवलपुरा के प्रमाण पत्र संख्या एस0पी0 01 दिनांक 17.03.2024 में यह तस्दीक किया गया है कि फूलचंद पुत्र धन्ना, रामफूल/मनफूल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर एक ही व्यक्ति है जो गेन्दापुरा तहसील इन्द्रगढ़ का निवासी था हाल में कंकाली माता मंदिर के पास मंनं 32 कंसुआ, कोटा में निवास करता है मेरी

उपखण्ड अधिकारी
बाकेरी (बून्दी)

...कारी अनुसार सही है। सरकारी दस्तावेज यथा नल बिल, विद्युत बिल, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, आधारकार्ड, राशनकार्ड में वादी का नाम फूलचंद आ0 धन्नालाल अंकित है। पत्रावली में उपस्थित ग्राम बिसनपुरा, गेंदापुरा की जमाबंदी में वादी के पिता के दो भिन्न–भिन्न नाम रामधन और धन्ना अंकित है जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण वादी द्वारा अंकित नहीं किया गया है। उक्त दस्तावेजों एवं गवाहानो के अभिवचनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि जमाबंदी खाता संख्या नया 47 खसरा संख्या 276 रकबा 2. 3100है0 वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार हल्का सखावदा तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में संशोधन किया जाकर मनफूल पुत्र रामधन के स्थान पर फूलचंद उर्फ मनफूल पुत्र रामधन एवं कृषि भूमि जमाबंदी खाता संख्या नया 30 ख0स0 108 रकबा 0.02है0, ख0सं0 111 रकबा 0.01है0, ख0सं0 112 रकबा 0.01है0, ख0सं0 130 रकबा 0.33है0, ख0सं0 133 रकबा 0.34है0, ख0सं0 160 रकबा 0.47है0, ख0सं0 51 रकबा 0.05है0, ख0सं0 52 रकबा 0.5080है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.7380है0 वाके ग्राम गेन्दापुरा पटवार पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में संशोधन किया जाकर रामफूल पुत्र धन्ना के स्थान पर फूलचंद उर्फ रामफूल पुत्र धन्ना अंकित कर नियमतः राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर जमाबंदी रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..
व इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर0ए0एस).. मुकाम............लाखेरी..........................

फुलचन्द पुत्र धन्ना जाति गुजर बनाम निवासी गत्ता फैक्ट्री रोड कंसुआ, तहसील लाडपुरा जिला कोटा, राजस्थान।

–वादीनी

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बूंदी राजस्थान।

–प्रतिवादी

दावा बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

मुकदमा नम्बर 66/दावा/2019

सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादी अधिवक्ता श्री बालकिशन रायका ...... मिनजानिब मुद्दई रूबरू......................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि –

वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि जमाबंदी खाता संख्या नया 47 खसरा संख्या 276 रकबा 2.3100है0 वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार हल्का सखावदा तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में संशोधन किया जाकर मनफूल पुत्र रामधन के स्थान पर फूलचंद उर्फ मनफूल पुत्र रामधन एवं कृषि भूमि जमाबंदी खाता संख्या नया 30 ख0स0 108 रकबा 0.02है0, ख0सं0 111 रकबा 0.01है0, ख0सं0 112 रकबा 0.01है0, ख0सं0 130 रकबा 0.33है0, ख0सं0 133 रकबा 0.34है0, ख0सं0 160 रकबा 0.47है0, ख0सं0 51 रकबा 0.05है0, ख0सं0 52 रकबा 0.5080है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.7380है0 वाके ग्राम गेन्दापुरा पटवार पटवार हल्का नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम में संशोधन किया जाकर रामफूल पुत्र धन्ना के स्थान पर फूलचंद उर्फ रामफूल पुत्र धन्ना अंकित कर नियमतः राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर जमाबंदी रहेगें।

निज...मुबलिग...बाबत...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 11 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मैजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।